मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 14, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 155 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

नवनियुक्त आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का स्वागत

माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि आज दर्शक दीर्घा में नवनियुक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित है. सदन की ओर से उनका स्वागत है.

3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

1	श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के बसामन मामा स्थित टमस नदी में एनीकट निर्माण कार्य प्रांरभ न किया जाना ।
2	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया स्थित बरगॉय से तरौआ तक सड़क निर्माण कराया जाए ।
3	श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ से धजरई, बल्देवगढ़ होते हुए बंधा तिगैला का मार्ग जर्जर होना ।
4	इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य ने मकरोनिया में विभिन्न वार्डों के तिराहों-चौराहों पर सौन्दर्यीकरण किया जाना ।
5	श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने सरदारपुर विधानसभा के विभिन्न मोहल्लों में विद्युत व्यवस्था न होने से आदिवासियों को परेशानी होना।
6	श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जाना।
7	डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नगर पालिका नर्मदापुरम् के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होना।
8	श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने 'स्मार्ट क्लास' एवं 'आई.सी.टी' योजना के तहत कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की खरीदी में भ्रष्टाचार होना ।
9	श्री विपीन जैन, सदस्य ने टॉउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग कार्यालय मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाना ।
10	श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में आदिवासियों की जमीन को फर्जी दस्तावेज से हड़प कर बेचा जाना।
11	इंजी. हरीबाबू राय, सदस्य ने ग्राम राम पहाड़ी बामौरा के बीच सड़क एवं पुलिया तथा ग्राम बारमहू से काकाखेड़ी के बीच सड़क निर्माण किया जाना।
12	श्री भैरो सिंह 'बापू', सदस्य ने सीतामऊ, कुंडला से धतुरिया स्थित चंबल नदी पर पुल का निर्माण किया जाना।

13	श्री महेश परमार, सदस्य ने प्रदेश में स्कूलों हेतु अधिक बजट उपलब्धता के बाद भी नामांकन एवं शिक्षा परिणामों का प्रतिकूल होना।
14	डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा अंतर्गत गंजाल-मोरण्ड डेम का निर्माण पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. न मिलने से प्रारंभ न हो पाना।
15	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने ग्राम पंचायत मझटोलवा जिला मैहर अंतर्गत सड़क का कार्य पूर्ण करवाया जाना।
16	श्री चन्दर सिंह सिसोदिया, सदस्य ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमीदिया भोपाल के प्राचार्य की विभागीय जांच कराकर कार्यवाही की जाना ।
17	श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य ने कैलारस विधानसभा स्थित अस्पताल में मरीजों हेतु डायलेसिस मशीन की व्यवस्था की जाना।
18	श्री फूल सिंह बरैया, सदस्य ने फसलों का सही समर्थन मूल्य दिये जाने के संबंध में।
19	श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना विधानसभा अंतर्गत निकाले जा रहे ग्रीन हाइवे में किसानों की अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा न दिया जाना।
20	डॉ. तेज बहादुर सिंह, सदस्य ने नागदा स्थित नवीन बस स्टैण्ड का उपयोग न किया जाना।
21	श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बिना सहमति लिये निज सहायक श्री देवेन्द्र बड़गैया की सेवाएं वापस की जाना।
22	डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य ने प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यार्थी छात्रों को नजदीकी परीक्षा केन्द्र दिया जाना।
23	श्री सुरेश राजे, सदस्य ने कृषकों की भूमि पर बिना अनुमति विद्युत पोल खडे किया जाना ।
24	श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य ने सीतारपटन को राम वनगमन पथ से जोडकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना।
25	श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य ने सिमरिया को नया जनपद बनाया जाना।
26	श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य ने सिवनी जिले के केवलारी में खनन माफियाओं द्वारा गोली चलाई जाने से उत्पन्न स्थिति।
27	श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले की पंचायतों में पेयजल व्यवस्था पर हुए निर्माण एवं भुगतान संबंधी ।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), ने कम्पनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं

(ग) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखे.

5.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची में 21 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश:

प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया माना जाएगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा। पहले क्रमांक- (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जाएंगी।"

6.अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब सचिवालय में कुछ विलंब से दिया गया है. अत: समस्त विभाग भविष्य में यह सुनिश्चित करे कि ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब प्रात: 10 बजे से पूर्व सचिवालय में आ जाये जिससे समय पर सदस्य को जवाब उपलब्ध हो सके.

7. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य,** भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में घोर वित्तीय अनियमितता होने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री अनिल जैन कालूहेडा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री, तकनीकी शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **डॉ. विक्रांत भूरिया, सदस्य,** सिंगरौली जिला अंतर्गत वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राज्यमंत्री वन का ध्यान आकर्षित किया. श्री जयवर्द्धन सिंह, श्री उमंग सिंघार एवं श्री बाला बच्चन, सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण ने चर्चा का उत्तर दिया.

8. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था लॉबी में की गई है. वे अपनी सुविधानुसार ग्रहण कर सकते है.

9. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(3) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम नगर के निजी स्कूल में छात्र द्वारा आत्महत्या का प्रयास किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री, स्कूल शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण संख्या 3 पर चर्चा के दौरान, ध्यानाकर्षण संख्या 2 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए एवं बहिर्गमन किया.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) **सर्वश्री उमंग सिंघार, सदस्य,** एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत 108 आपातकालीन वाहन सेवा समय से उपलब्ध न होने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया. श्री सोहनलाल बाल्मीक एवं श्री केदार चिड़ाभाई डावर सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

12.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (21) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढे हुए माने गए -

(5) **सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, प्रताप ग्रेवाल, सदस्य** की इंदौर के एम वाय अस्पताल में चूहों द्वारा नवजात बच्ची की कुतरने से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का लिखित वक्तव्य.

(6) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य** की मैहर जिले के विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन में बाणसागर परियोजना के डूब क्षेत्र में पुनर्वास ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(7) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य** की प्रदेश में मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों पर फसल बीमा राशि कम दिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(8) **श्री लखन घनघोरिया, सदस्य** की जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरू की अवैधानिक नियुक्ति पर तत्काल बर्खास्त करने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(9) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य** की मकरोनिया एवं कर्रापुर में सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ कराए जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(10) **श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य** की देवास जिले के ग्राम तुरनाल तहसील खातेगांव में स्थित पांच लड्डू स्थान का संरक्षण नहीं होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का लिखित वक्तव्य.

(11) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य** की टीकमगढ जिले में शासकीय राशि से निर्मित भवनों के हैंडओवर न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(12) **श्री अमर सिंह यादव, सदस्य** की राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के डूब प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों को मुआवजा राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(13) **डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य** की म.प्र. में विभाजित भूखंडों की अनुज्ञा देने पर रोक लगाये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(14) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य** की विदिशा सामान्य वन मंडल अंतर्गत अवैध अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का लिखित वक्तव्य.

(15) **सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू, सदस्य** की प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा नीति में संशोधन किये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(16) **श्री महेश परमार, सदस्य** की प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वित्तीय व्यवस्था किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(17) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य** की निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में किसानों को खाद न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(18) **श्री बृजबिहारी पटैरिया, सदस्य** की सागर के देवरी क्षेत्र अंतर्गत एन.एच.44 पर निर्माणाधीन कार्यों में वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने से हो रही दुर्घटना संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(19) **श्री मुकेश टंडन, सदस्य** की विदिशा जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में सांदीपनि छात्रावास भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(20) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य** की बालाघाट अंतर्गत लालवर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर व फार्मासिस्ट की पदस्थापना कराए जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का लिखित वक्तव्य.

(21) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य** की दतिया जिले में पुलिस के संरक्षण में अवैध गितविधियों के संचालन से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का लिखित वक्तव्य.

13. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171-देवास से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती गायत्री राजे पवार को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

14. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 5 के सरल क्रमांक 1 से 61 तक में निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(2) श्री विजय रेवनाथ चौरे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(3) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(4) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(5) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(6) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(7) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(8) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(9) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(10) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(11) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(12) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके (जिला-बैतूल)
(13) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(14) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(15) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(16) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(18) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(19) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(20) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(21) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(22) श्री मुकेश टंडन (जिला-विदिशा)
(23) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(24) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(25) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(26) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(27) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(28) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(29) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर)
(30) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(31) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(32) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(33) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(34) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(35) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(36) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(38) श्री विक्रम सिंह (विक्की) (जिला-सतना)
(39) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(40) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(41) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(42) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(43) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(44) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(45) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(46) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी (जिला-अशोकनगर)

(47) **श्रीमती अनुभा मुंजारे** (जिला-बालाघाट)
(48) **श्री आतिफ आरिफ अकील** (जिला-भोपाल)
(49) **इंजी. प्रदीप लारिया** (जिला-सागर)
(50) **श्री दिनेश जैन बोस** (जिला-उज्जैन)
(51) **श्री मोहन सिंह राठौर** (जिला-ग्वालियर)
(52) **श्री गौरव सिंह पारधी** (जिला-बालाघाट)
(53) **श्री प्रदीप पटेल** (जिला-मऊगंज)
(54) **श्री अभय मिश्रा** (जिला-रीवा)
(55) **श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा** (जिला-सतना)
(56) **श्री मुकेश मल्होत्रा** (जिला-श्योपुर)
(57) **श्री मोंटू सोलंकी** (जिला-बड़वानी)
(58) **श्री बाला बच्चन** (जिला-बड़वानी)
(59) **श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा** (जिला-नर्मदापुरम)
(60) **श्री चैन सिंह वरकड़े** (जिला-मण्डला)
(61) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे** (जिला-भिण्ड)

15. वित्तीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

द्वितीय अनुपूरक अनुमान (वर्ष 2025-2026) की मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमश:)

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

29. श्री केदार चिडाभाई डाबर
30. श्री सोहनलाल बाल्मीक
31. श्री दिनेश जैन बोस
32. श्री फूलसिंह बरैया
33. श्री ओमकार सिंह मरकाम
34. श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया
35. श्रीमती सेना महेश पटेल
36. श्री निलेश पुसाराम उईके
37. श्री नारायण सिंह पट्टा
38. श्री रामनिवास शाह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

39. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. आधिक्य व्यय (वर्ष 2011-2012) की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा प्रस्ताव किया गया कि -

''दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 33, 15, 52 एवं 74 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ पैंतीस करोड़, सात लाख, इक्यासी हजार, पांच सौ सैंतालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाए.''

आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. अशासकीय संकल्प

(1) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि "सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नरयावली एवं जरूवाखेड़ा स्टेशन पर राज्यरानी सुपर फास्ट ट्रेन क्र. 22162 का स्टॉपेज किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया

संकल्प स्वीकृत हुआ.

(2) **श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि "मण्डला रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर वीरांगना दुर्गावती स्टेशन मण्डला किये जाने के साथ ही जबलपुर भोपाल ओव्हर नाईट एक्सप्रेस 22191/22192, इंटरसिटी एक्सप्रेस 22187/22188 एवं जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन की ओर चलने वाली गोंडवाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस 22181/22182 को मण्डला स्टेशन से चलाया जाए.".

उक्त संकल्प के संबंध में श्री राकेश सिंह मंत्री लोक निर्माण ने कहा कि लगता है माननीय सदस्य ने इसमें कुछ संशोधन किया है. अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार संशोधन पढा गया -

जबलपुर भोपाल ओव्हरनाइट एक्सप्रेस इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस के स्थान पर आदिवासी अंचल जिला मण्डला से नवीन ट्रेन जबलपुर को कनेक्ट करने के लिए चलाई जाए.

संशोधित संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया

संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) **श्री बृजबिहारी पटैरिया, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया -

सदन का यह मत है कि "सागर जिले के देवरी का नाम परिवर्तित कर देवपुरी किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया

संकल्प वापस लिया गया.

(4) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

सदन का यह मत है कि "रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया के मुख्यालय में नवीन जनपद पंचायत खोला जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री प्रहलाद पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने उत्तर दिया

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

18. सत्र का समापन

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस सत्र में चार बैंठकें हुईं जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए. इस सत्र में सदन ने वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान मांगों को अपनी स्वीकृति दी जिसमें लगभग 7 घण्टे चर्चा हुई. इसके अतिरिक्त सदन में वर्ष 2011-2012 के आधिक्य व्यय के विवरण को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं 2 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये. इस सत्र में कुल 1497 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 751 तारांकित एवं 746 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 432 सूचनाएं प्राप्त हुई। 37 सूचनाएं ग्राह्य हुई. शून्यकाल की 170 सूचनाएं एवं 226 याचिकाएं प्राप्त हुई और 4 अशासकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत हुए जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प पारित किए गए तथा एक चर्चा उपरांत वापस लिया गया. सदन में अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए तथा नियम 139 के अधीन प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लगभग 4 घण्टे 46 मिनट विस्तृत चर्चा हुई. इस सत्रावधि में सदन की बैठक लगभग 23 घण्टे चली. संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदन में आवाज सुनाई दे और शासन-प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं को दूर करने के लिये तत्परता से कार्य किया जाये. यह व्यवस्था लोक कल्याण के लिए संचालित है और हमारा सौभाग्य है कि इस व्यवस्था का अंग होने के कारण हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिला है. अंतत: हमारा लक्ष्य यही होना चाहिये कि लोकतंत्र समृद्ध हो और संसदीय कार्यप्रणाली से प्रदेश और उसकी जनता की चहुंमुखी प्रगति और उन्नति हो. इस हेतु हम सबको मिल कर कार्य करना चाहिए। इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के माननीय सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं.

डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये.

19. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

20. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 04:01 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 05 दिसम्बर, 2025